

13³/₂₀

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर पत्रावली पर 'जो इंद्रकशर' उबते हुए कथन किना कि प्रकरण में उन्हें हिदायत पेश्वी नहीं है। प्रार्थी उपस्थित नहीं। पत्रावली प्रथम हाजरी में खारिज की जाती है पत्रावली के सब शुमार होकर बाद तस्वीब, तहमील दाम्बिल हफ्ता में।

SM
सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

No objection
Plead by me
C. S. and
A. S.

